न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 33/2019 **दायरा दिनांक : 25.02.2019**

उनवान

रामकल्याण आत्मज स्वर्गीय रामनाथ जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामरतन उर्फ रतनलाल आत्मज श्री छोगालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– राजस्थान राज्य सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

3– खेमराज आत्मज श्री गजानन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम छतरपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3 एवं

श्री शम्भू दयाल विजय रेस्पोडेंट नम्बर 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.12.2022**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 226/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल में वादी के शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 410 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 रकबा 1.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1037 रकबा 1.58 हेक्टर कुल 9 किता कुल रकबा 10.35 हेक्टर आराजी स्थित है।

हाल खसरा नं.	क्षेत्रफल	सबिक खसरा नं.	क्षेत्रफल
75	0.30 हेक्टर	218	10.18 बीघा
115	0.05 हेक्टर	192	0.02 बीघा
179	0.15 हेक्टर	184	1.02 बीघा
216	0.23 हेक्टर	70	1.07 बीघा
410	1.26 हेक्टर	218 मी0	–
412	1.88 हेक्टर	220	11.12 बीघा
568	0.05 हेक्टर	386	32.11 बीघा
583	4.85 हेक्टर	386 मी0	–
किता 8	8.77 हेक्टर	किता 7	60.18 बीघा
1037	1.58 हेक्टर	627	11.14 बीघा

खसरा नम्बर 1037 रकबा 1.58 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 627 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा केसरीलाल पुत्र देवलाल, जाति मीणा,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल के खाते में सम्वत 2021–2024 तक की जमाबंदी में केसरीलाल के नाम दर्ज थी, लेकिन केसरीलाल वादी के पिता के काका थे, जिन्होंने आपसी सहमति से राजीनामा करके वादी के खाते में दर्ज करा दिया एवं जमाबंदी संवत 2037–2040 तक में शामलाती रूप से रामनाथ पुत्र केदार बेटे धन्नालाल के 1/2 हिस्से में आराजी दर्ज है। रामनाथ की मृत्यु के बाद विरासत का इंतकाल वादी व उसके भाइयों के नाम दर्ज हो गया, जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, सैटलमेंट से पूर्व वादी के पिता के खाते कुल 60 बीघा 18 बिस्वा आराजी शामलाती रूप से 1/2 हिस्से में दर्ज थी, सैटलमेंट के बाद उक्त आराजी को वर्तमान में 8.77 हेक्टर दर्ज किया गया। गत के मुकाबले वर्तमान में वादी के खाते में 0.48 हेक्टर की कमी करके राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है। इस प्रकार पुराना खसरा नम्बर 627 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा के वर्तमान में नये खसरा नम्बर 1037 रकबा 1.58 हेक्टर दर्ज है, जो गत के मुकाबले 0.32 हेक्टर आराजी कम दर्ज की गई है। इस प्रकार वादी के खाते में कुल 0.80 हेक्टर आराजी की कमी करके दर्ज किया गया है, जिसको वादी दुरूस्त करवा कर खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

3 वादी वर्तमान में खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर पर काबिज काश्त है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है। जिस पर वादी जन्म से ही काश्त कर रहा है, लेकिन प्रतिवादी नं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत बयानबाजी के आधार पर चुपचाप अपने नाम आराजी ऐलोट करवा ली है। जबकि प्रतिवादी नं. 1 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी ही उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी को कम दिया गया कुल रकबा 0.80 हेक्टर है, जिसकी पूर्ति वादी खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर जिसके पुराने खसरा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है। जिस पर वादी एवं वादी के पिता बरसों से काश्त करते चले आ रहे हैं, पूर्ति कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादी के गत आराजी के मुकाबले कम हुआ रकबा 0.80 हेक्टर वर्तमान में खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर से पूर्ति कर खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी नं. 1 को पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार का व्यवधान काश्त करने में उत्पन्न नहीं करें, ऐसा न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वस्तुस्थिति एवं कानून व तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के शामलाती खाते की है। खसरा नम्बर 627 की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि जमाबंदी सम्वत 2021–2024 में केसरीलाल आत्मज श्री देवलाल जाति मीणा, निवासी ग्राम तिसाया के खाते में दर्ज थी। केसरीलाल वादी अपीलांट के पिता श्री रामनाथ के सगे काका थे। जमाबंदी सम्वत 2037–2040 में उपरोक्त भूमि रामनाथ, केदार बेटे धन्नालाल के 1/2 हिस्सा खाते में दर्ज थी। रामनाथ की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि उनका पुत्र होने से अपीलांट के खाते दर्ज हुई थी। जमाबंदी संवत 2037–2040 में अपीलांट के पिता रामनाथ के शामलाती खाते में 60 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसमें रामनाथ 1/2 हिस्से के सहकृषक दर्ज थे। उपरोक्त भूमि 9.74 हेक्टर के बराबर होती है। इस प्रकार अपीलांट के शामलाती खाते में 0.97 हेक्टर भूमि कम दर्ज की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

गई थी। इसी प्रकार पुराने खसरा नं. 627 का रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1037 रकबा 1.58 हेक्टर बनाये गये जो गत के मुकाबिले 0.32 हेक्टर कम दर्ज की गई। इस प्रकार अपीलांट के खाते कुल 1.29 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गई, जिसे वादी अपीलांट दुरूस्त करवा कर अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपीलांट हाल खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर भूमि पर काबिज चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा थे।

5 उपरोक्त आराजी वादी अपीलांट के पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद से वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। सैटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही उपरोक्त आराजी को गैर कानूनी रूप से सिवाय चक दर्ज किया था, प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 ने उपरोक्त आराजी को अवैध रूप से आवंटित करवा लिया । प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 का उपरोक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त आवंटन के विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जो वर्तमान में विचाराधीन है। हाल खसरा नम्बर 413 की 0.84 हेक्टर भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है, से वादी अपीलांट कमी पूर्ति करवाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 413 की भूमि वादी अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 412 से लगी हुई है, जिस पर वादी अपीलांट पूर्ववत काबिज काश्त है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 121/2007 अपील/एलआरए/बारां को स्वीकार फरमा कर पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में घोषणा का नियमित वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। वादी अपीलांट ने दिनांक 03.08.2007 को अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था। शहादत वादी अपीलांट होने के बाद उक्त प्रकरण शहादत प्रतिवादी में विचाराधीन था।

6 दिनांक 12.10.2018 को शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर आगामी तारीख 15.10.2018 नियत की गई थी। दिनांक 15.10.2018 को वादी के वकील साहब की बहस सुने बिना ही वादी अपीलांट एवं उसके अभिभाषक श्री हरीश जी राजावत की अनुपस्थिति में व्यवहार विधि संहिता के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 15.10.2018 को दावा वादी, गुणावगुण पर खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 व 2 वादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित कर दावा खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2018 अपास्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाया जाकर ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल की खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर भूमि का वादी अपीलांट को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अमल दरामद फरमाये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमायी जावे। वादी अपीलांट के पक्ष में प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जावे कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 उपरोक्त आराजी में अपीलांट वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें, और न अपने एजेन्ट प्रतिनिधियों से करावें।

7 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.01.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

8 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

9 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2020 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 265, आर आर डी 1998 पज 319, आर आर टी 2019(1) पेज 255 उद्धरत की जो शामिल पत्रावली की गई।

10 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

11 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया गया।

12 प्रतिवादी नं. 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :–

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

01 यह है कि वाद पत्र की मद नं. 1 स्वीकार है।

02 यह है कि वाद पत्र की मद नं. 2 व 3 अस्वीकार है।

03 यह है कि वाद पत्र की मद नं. 4 में वर्णित आराजी खसरानं. 413 रकबा 0.84 हे0 जिसके पुराने खसरा नं. 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है जिसका प्रतिवादी कम 3 पुश्तैनी जायदाद होने की वजह से खातेदार दर्ज होना चाहिए था। विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

04 यह है कि वाद पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है।

05 यह है कि वाद पत्र की मद नं. 6 स्वीकार है।

06 यह है कि वाद पत्र की मद नं. 7, 8, 9, 10 कानूनी है अस्वीकार है।

13 विशेष कथन :–

01 पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

रूकमा ————————मांगीबाई ————————खेमराज पुत्र

02 यह कि प्रतिवादी की नानी रूकमा बेवा गौरू के खाते की आराजी खसरा नं. 73 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा माल तिसाया में स्थित थी। जिसके नये खसरानम्बर 218 रकबा 0.28 हे0 पर खसरानम्बर 413 रकबा 0.84 हे0, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.13 हे0 दर्ज किया गया।उक्त आराजी रूकमा बेवा गौरू के खाते दर्ज थी। लेकिन राजस्व रेकार्ड में रूकमा बेवा गौर के कोई औलाद नहीं बताते हुए सिवाय चक दर्ज कर दी गई, जबकि यह आराजी रूकमा की बेटी मांगीबाई के खाते दर्ज होना चाहिए थी तथाप्रतिवादी कम 3 मांगी बाई का पुत्र है। इस प्रकार से प्रतिवादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

का अधिकारी है। अतः जवाब दावा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

14 प्रकरण में वादीद्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार :–

1 यह कि काउंटर क्लेम की मद नं. 1 में वर्णित पारिवारिक सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

2 काउंटर क्लेम की मद नं. 2 अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादी नं. 3 के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी नं.3 ने विवादित आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया है। वादी आज भी काबिज काश्त है। अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि काउंटर क्लेम निरस्त फरमाया जावे।

15 वाद, जवाब दावा व जवाबुल के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1 आया वादी साबिक खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर माल तिसाया पर काबिज काश्त है। वादी अपने कमी रकबे 0. 84 हेक्टर की पूर्ति कराने का अधिकारी है।

वादी

2 आया खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर आराजी साबिक खसरा नम्बर 221 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने राजस्व कार्मिकों से मिलकर बयान बाजी करके अपने नाम आवंटित कराकर गैरखातेदारी में दर्ज करा ली ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

वादी

3 आया साबिक खसरा नॅगर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर वाके माल तिसाया प्रतिवादी कम 3 की नानी रूकमा बेवा गोरू के खातेदारी की आराजी है, जिसका लाऔलाद बताते हुए सिवायचक आराजी दर्ज कर दी। जिसको पुनः अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

प्रतिवादी कम 3

4 दादरसी।

16 वादी ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी डब्ल्यू 1 रामकल्याण, पी डब्ल्यू 2 लटूर लाल व पी डब्ल्यू 3 हेमराज के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 ग्राम तिसाया प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040, प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062, प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्वत 2021–2024 व प्रदर्श 6 नोटिस धारा 80 सी पी सी।

17 प्रकरण सन् 2007 से लम्बित है। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की जाती है। प्रस्तुत दस्तावेज बयानों के आधार पर वकील प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर निम्न प्रकार से तनकी वाईज निर्णय पारित किया जा रहा है :–

18 तनकी नं. 1 व 2 एक दूसरे से सम्बन्धित होने की वजह से एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है।

19 तनकी नं. 1 व 2 :– वाद पत्र की मद नं. 4 में वादी ने लिखा है कि साबिक खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर वाके माल तिसाया

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

की आराजी पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है, जबकि इस खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर को प्रतिवादी ने अपने नाम आवंटित करा लिया है तथा गैरखातेदारी भी दर्ज करा ली है।

20 प्रतिवादी कम 3 ने अपने जवाब में कहा कि आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर उसकी नानी रूकमा बेवा गोरू की खातेदारी की आराजी है। जिसको सिवायचक घोषित दर्ज कर दिया गया है तथा प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाबदावे में कहा कि खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर वाके माल तिसाया कि आराजी दिनांक 20.09.1998 को आवंटन की गई थी। मौके पर जाकर राजस्व कार्मिकों ने कब्जा दखल दिया था तथा इंतकाल नं. 141 से आवंटित आराजी प्रतिवादी कम 1 के गैर खातेदारी में दर्ज कर ली गई थी तथा आगे कथन किया कि प्रतिवादी कम 1 के गैर खाते में दर्ज आराजी से वादी के कमी रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती।

21 वकील प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस तरफ दिलाया कि वादी के दस्तावेज प्रदर्श 1 से लेकर प्रदर्श 5 तक में आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर का जिक्र नहीं है। यह आराजी सिवाय चक सीलिंग आराजी थी। जो विधि अनुसार प्रतिवादी कम 1 के आवंटित की गई और प्रतिवादी के गैरखातेदारी में दर्ज है। इस तरह प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज आराजी से वादी का कमी रकबा पूरा नहीं किया जा सकता। वकील प्रतिवादी कम 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादी या प्रतिवादी कम 3 को आवंटन से कोई आपत्ति है तो आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करें

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

या जो भी उचित कार्यवाही हो वह करें। इस न्यायालय से घोषणा की रिलीफ वादी नहीं करा सकता।

22 प्रतिवादी कम 3 व प्रतिवादी कम 1 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। लेकिन वाद वादी ने पेश किया है और वादी को ही अपना वाद साबित करना है। मेरी राय में आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर साबिक खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी वाके ग्राम तिसाया को स्वयं वादी ने प्रतिवादी कम 1 के आवंटन व गैरखातेदारी में बताया है । यही बात वादी ने अपने बयानों की जिरह में बताया है। जिरह में यह भी कहा है कि मुझे ध्यान नहीं है। खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा रूकमा बेवा गोरू के खातेदारी में रही हो। इसी प्रकार गवाह पी डब्ल्यू 2, लटूर लाल व पीडब्ल्यू 3 हेमराज वादी को किसी भी प्रकार की मदद नहीं करत हैं।

23 वादी प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 0.84 हेक्टर मेंसे कमी पूर्ति रकबा 0.80 हेक्टर पूरा कराकर अपने पक्ष में घोषणा कराना चाहता है, जो नियम विरूद्ध है। प्रतिवादी कम 1 के विधिवत आवंटन होकर गैरखातेदारी में आराजी दर्ज की गई है। जिसके लिए वादी के पक्ष में घोषणा नहीं की जा सकती। प्रतिवादी कम 1 गैरखातेदार है। इसलिए उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती है।

24 उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में किया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

25 तनकी नं. 3 :– यह तनकी प्रतिवादी कम 3 को साबितकरनी थी । प्रतिवादी कम 3 ने ना तो साक्ष्य पेश किया और ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है। जिससे यह साबित हो कि खसरा नम्बर 221 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा उसकी नानी रूकमा पत्नि गौरू की खातेदारी में दर्ज रही हो और फिर सिवायचक सीलिंग घोषित कर दी हो। वर्तमान में आराजी प्रतिवादी कम 1 के आवंटन के बाद गैरखातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी कम 3 का प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में हुए आवंटन के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। यह न्यायालय काउंटर क्लेम के आधार पर कोई रिलीफ नहीं दे सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं. 3 प्रतिवादी कम 3 के विरूद्ध व प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

26 दादरसी :– वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी ए विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 खारिज किया जाता है। डिक्री बनायी जावे।

27 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल में आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 410 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 रकबा 1.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1037 रकबा 1.58 हेक्टर कुल 9 किता कुल रकबा 10.35 हेक्टर में खसरा नम्बर 413 जिसका पुराना खसरा नम्बर 221 का कही भी उल्लेख नहीं है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

28 वादी अपीलांट अपील की बिन्दु संख्या 3 में खसरा नम्बर 7 का उल्लेख है जो वादपत्र और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उक्त खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है।

29 अपील की बिन्दु संख्या 4 में वर्णित खसरा नम्बर 547 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा का वाद पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उल्लेख नहीं है। अतः अपील का यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

30 अपील की बिन्दु संख्या 6 में अपीलांट ने पुराने खसरा नम्बर 627 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा के नये नम्बर 1037 रकबा 1.5 हेक्टर बनाये गये, जो गत मुकाबले 0.32 हेक्टर कम दर्ज की गई। लेकिन कम कैसे उसको साबित नहीं कर सके ।

31 अपील की बिन्दु संख्या 7 में आवंटन के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कथन किया गया जो कि विचाराधीन है लेकिन किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

32 अपील की बिन्दु संख्या 8 में अपीलांट ने कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 413 की भूमि वादी अपीलांट के खाते की भूमि खसरा नम्बर 412 से लगी हुई है जिस पर अपीलांट ने पूर्ववत काबिज काश्त है लेकिन जिससे वह भरपाई करने की अपील कर रहा है लेकिन वाद पत्र के अवलोकन में कहीं पर भी इस सम्बन्ध में खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं है।

33 अपील की बिन्दु संख्या 9 में अपीलांट ने यह कथन किया है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 121/2007

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील/एलआरएक्ट/बारां को स्वीकार फरमाकर पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में घोषणा का नियमित वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने के निर्देश दिये थे। इस सम्बन्ध में निर्णय को अवलोकन किया । माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय में खसरा नम्बर 219 का उल्लेख है जो वाद पत्र और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कहीं पर भी खसरा नम्बर 219 का उल्लेख नहीं है।

34 अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है जो पूर्णरूप से सही है जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

35 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2018 यथावत रखा जाता है ।

36 निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

रामकल्याण आत्मज स्वर्गीय रामनाथ जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– रामरतन उर्फ रतनलाल आत्मज श्री छोगालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2– राजस्थान राज्य सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा
3– खेमराज आत्मज श्री गजानन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम छतरपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 33 / 2019 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल
मु.द.नं0 226 / 2007 निर्णय व डिक्री दिनांक – 15.10.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 21 माह 11 सन् 2022

हाजरी **श्री एन के गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से उपस्थित, एवं **श्री शम्भू दयाल विजय** रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से उपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 15.10.2018 यथावत रखा जाता है ।
बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 12 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)